

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

2010–2011

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2010 – 2011

प्रस्तावना :

राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि गतिशील विक्रय कर विधान की सुसंगत व्याख्या की जा सके। अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित प्रकरणों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग के प्रथम अपील आदेश के विरुद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो सकती थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तन कर 'राजस्थान कर बोर्ड' कर दिया गया।

2.0 राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-2 में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को 'चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी' घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफेरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। यह संशोधन दिनांक 24.03.2005 से प्रभावी हुआ है। जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित किये गये हैं जिनकी सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से की जा रही हैं। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता दिनांक 25.09.2006 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी है।

2.1 राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्या 6) के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरुद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक 06.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है। उक्त संशोधन के पश्चात् राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित आबकारी से संबंधित अपीले/निगरानियां राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित की गयी हैं जिनकी सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा किया जा रहा है।

3.0 गठन :

वर्तमान में कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य पदस्थापित हैं। अध्यक्ष, राज्य के प्रमुख शासन सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। बोर्ड के सदस्यों को वेतन एवं भत्ते राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 9(7)(क) के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल स्तर के अधिकारी के समान देय है। इस सम्बन्ध में चयन आदि की प्रक्रिया नियम 9 के प्रावधानानुसार है।

3.1 कार्यालय को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। इस पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला/सुपर टाइम स्केल के अधिकारी कार्यरत हैं।

3.2 कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं	नाम	पद	अवधि
1.	श्री तपेन्द्र कुमार	अध्यक्ष	09.09.2010 से निरन्तर
2.	श्री जी. आर. मूलचन्दानी	सदस्य	11.12.2009 से निरन्तर
3.	श्री ओ. पी. सहारण	सदस्य	08.10.2008 से निरन्तर
4.	श्री एस. आर. कटारिया	सदस्य	31.07.2009 से निरन्तर
5	श्री एच. एल. पाण्डे	सदस्य	31.07.2009 से निरन्तर
6.	श्री हरफूल सिंह	रजिस्ट्रार	06.01.2011 से निरन्तर

4.0 राजस्थान कर बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक पद

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अध्यक्ष	1	1	—
2	सदस्य	4	4	—
3	रजिस्ट्रार	1	1	—
4	सहायक लेखाधिकारी	1	1	—
5	निजी सचिव	2	2	—
6	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1	—
7	निजी सहायक	1	—	1
8	स्टेनोग्राफर	1	1	—
9	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	—
10	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	—
11	कार्यालय अधीक्षक	1	1	—
12	कार्यालय सहायक	2	2	—
13	वरिष्ठ लिपिक	6	6	—
14	कनिष्ठ लिपिक	12	12	—
15	वाहन चालक	4	4	—
16	जमादार	1	1	—
17	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	12	11	—
18	प्रोसेस सरवर	3	3	—
योग		55	54	1

5.0 बजट स्थिति :

वर्ष 2010-2011 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन	दिसम्बर, 2010 तक (रु.) व्यय
1	संवेतन	2,04,36,000	1,68,74,912
2	यात्रा भत्ता	3,00,000	2,79,606
3	चिकित्सा व्यय	3,00,000	2,81,002
4	वाहन संधारण	3,50,000	2,89,602
5	कार्यालय व्यय	15,00,000	11,77,533
6	पुस्तकालय	1,00,000	67,567
7	वाहन किराया	1,60,000	1,00,000
8	संविदा व्यय	5,00,000	3,43,971
9	वाहन क्रय	1,000	—
10	अंशदायी पेशन योजना	15,000	9,874
11	वर्दी	11,000	—

6.0 पुस्तकालय :

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय बैंचों एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में 6991 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

7.0 वर्षवार प्रकरणों की स्थिति :

वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प/भूमिकर एवं आबकारी) प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वाद	2008 (दिनांक 31.12.08)	2009 (दिनांक 31.12.09)	2010 (दिनांक 31.12.10)
1.	बकाया प्रकरण	5645	6079	6519
2.	दायर प्रकरण	2628	1875	2670
3.	निस्तारित प्रकरण	2194	1435	2344
4.	शेष प्रकरण	6079	6519	6845

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। विक्रय कर के जिन प्रकरणों में विवादास्पद कर राशि पांच लाख रुपए तक है उनकी सुनवायी एकलपीठ एवं जिन प्रकरणों में यह राशि पांच लाख से अधिक है, उन प्रकरणों की तथा आबकारी से संबंधित समस्तवादों की सुनवायी खण्डपीठ द्वारा एवं स्टाम्प एक्ट एवं भूमि कर से संबंधित समस्त प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहदपीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

8.0 वर्ष 2010-11 के दौरान दिसम्बर, 2010 तक प्रकरणों के निस्तारण की माहवार प्रगति निम्नानुसार रही :-

1.1.2010 को शेष प्रकरण

डी.बी.	एस.बी.	कुल प्रकरण
1204	5315	6519

वर्ष 2010

माह	दायर वाद		निस्तारित वाद		शेष		योग
	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	
					1204	5315	6519
जनवरी	40	94	28	133	1216	5276	6492
फरवरी	86	98	38	141	1264	5233	6497
मार्च	52	107	37	188	1279	5152	6431
अप्रैल	91	143	42	168	1328	5127	6455
मई	79	160	60	130	1347	5157	6504
जून	138	215	28	146	1457	5226	6683
जुलाई	113	170	84	157	1486	5239	6725
अगस्त	84	221	46	167	1524	5293	6817
सितम्बर	84	146	04	183	1604	5256	6860
अक्टूबर	78	136	51	154	1631	5238	6869
नवम्बर	49	110	12	157	1668	5191	6859
दिसम्बर	52	124	33	157	1687	5158	6845

9.0 अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम सप्ताह में योजना भवन में आयोजित किये जाते हैं। जिसमें मुख्यतः जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, झुन्झुनू, दौसा, एवं चूरु जिले के प्रकरणों की सुनवायी की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से एक सप्ताह के लिए एकलपीठ आयोजित की जा रही है।
